



AGRA POLICE

"सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा"



प्रेसनोट थाना डौकी जनपद आगरा।

10.11.2021

थाना डौकी पुलिस टीम द्वारा अभियोग में वांछित चल रहे रू0 15,000/- के इनामी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार..

दिनांक 09.11.2021 को थाना डौकी पुलिस टीम संदिग्ध व्यक्ति/वाहन हेतु थाना क्षेत्र में गश्त व चैकिंग की जा रही थी, इस दौरान मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुयी कि आपके थाना में पंजीकृत अभियोग में वांछित रू0 15,000/- का इनामी अभियुक्त इस समय थाना क्षेत्र बम्बा पुलिया ग्राम जनौरा में कहीं जाने की फिराक में खड़ा हुआ है।

इस सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए बताये स्थान पर पहुंच एक बारगी दबिश देते हुए अभियुक्त शैलू उर्फ शैलेन्द्र को एक बारगी दबिश देते हुए गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण :-

01. शैलू उर्फ शैलेन्द्र पुत्र रामवीर नि0 विजुआपुरा थाना कोलारी जनपद धौलपुर राजस्थान।

आपराधिक इतिहास का विवरण :-

01. मु0अ0सं0 204/21 धारा 272/273/304/120बी/420/467/468/471/34 भादवि व 60(1)/60(2)/60ए आबकारी अधिनियम थाना डौकी जनपद आगरा।
02. मु0अ0सं0 205/21 धारा 272/273/304/120बी/420/467/468/471/34 भादवि व 60(1)/60(2)/60ए आबकारी अधिनियम थाना डौकी जनपद आगरा।
03. मु0अ0सं0 206/21 धारा 272/273/304/120बी/420/467/468/471/34 भादवि व 60(1)/60(2)/60ए आबकारी अधिनियम थाना डौकी जनपद आगरा।
04. मु0अ0सं0 207/21 धारा 272/273/304/120बी/420/467/468/471/34 भादवि व 60(1)/60(2)/60ए आबकारी अधिनियम थाना डौकी जनपद आगरा।

पुलिस टीम का विवरण :-

01. थानाध्यक्ष श्री बहादुर सिंह मय टीम थाना डौकी जनपद आगरा।

मीडिया सेल जनपद आगरा।